NEWS LETTER

Month - March 2021

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

Empowering Women

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Court Based Legal Services

Mediation

Online Dispute Resolution

"Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Brahmin Community" (16.03.2021-27.03.2021)

Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Brahmin Community from **07 districts viz. Jabalpur, Seoni, Gwalior, Anuppur, Umaria, Shajapur and Rajgarh** concluded on 27.03.2021.

Mediation a very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-03-28 | Page- 1
ehitavada.com

MPSLSA holds online mediation programme for Brahmin Samaj

■ Legal correspondent

ONLINE Community Mediation Programme was taken up for 20 hours under the aegis of Madhya Pradesh State Legal Service Authority (MPSLSA) with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Brahmin Samaj from 7 districts, including Jabalpur, Seoni, Gwalior, Anuppur, Umaria, Shajapur and Rajgarh, whcih concluded on Saturday.

Mediation is a very important alternate dispute resolution mechanism which was earlier confined to the offices of the legal service institutions which will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at a proper formula. The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training

Senior office-bearers of MPSLSA during the mediation programme.

(Contd on page 2)

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh, Member-Secretary MPSLSA & Mr. Rajiv Karmahe- Secretary, HCLSC Jabalpur while as resource person Ms. Neena Khare, Shri Shahid Mohd. and Dr. O.P. Raichandani Psychiatrist, Medical College Jabalpur also shared their valuable inputs. During the session Law intern students were also imparted basic mediation orientation skills.

The valedictory session was attended by the Secretaries of DLSA who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up

Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably.

MP SLSA also earlier imparted community mediation training to **Nema, Gond, Jain, Kayasth, Yadav, Pasi, Muslim, Meena, Kshatriya and Bangali** Communities.

The programme concluded with the singing of the National Anthem.

Online Training to Members of Brahmin Community

Mediation Awareness Programme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनाँक 13.03.2021 को एक्शन प्लान ऑन मीडिएशन–2021 अंतर्गत मीडिएशन मॉनीटरिंग कमेटी बैठक एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम से लगभग 15 महिलाऐं एवं 45 पुरूष लाभांवित हुये।

Glimpses of Mediation Awareness Programme

DLSA SHIVPURI

DLSA MANDLA

DLSA PANNA

DLSA DEWAS

DLSA JABALPUR

Lok Adalat Programmes

Permanent and Continuous Lok Adalat through hybrid mode was scheduled on **27.03.21** at the High Court and District Court level.

Disposal at Dist. Court Level (Tentative)

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
2528	966	35614661	1078

Glimpses of Monthly Lok Adalat

Preparation & Awareness of National Lok Adalat

Reaching out to our Jail Inmates

दिनांक 24 मार्च, 2021 को 07 केन्द्रीय जेलों में आयोजित विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में केन्द्रीय जेल जबलपुर में दिनांक 24.03.2021 को प्रातः 9:30 बजे विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली केन्द्रीय जेल भोपाल, सतना, रीवा, होशंगाबाद, सागर एवं नरसिंहपुर को शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम हेतु वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से जोड़ा गया। इन जेलों में मेडिकल कॉलेज/स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसी प्रकार दिनांक 26.03.2021 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली जिला जेलों में भी विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया। उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन के साथ–साथ इन जेलों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित कैदियों के लिए नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाकर उनके प्रकरण की यथास्थिति से बंदियों को अवगत कराया गया, इसके साथ ही बंदियों को आवश्यक विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई।

माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली केन्द्रीय जेलों में शिविर के दौरान लगभग 33 बंदियों को विधिक सहायता एवं 1449 बंदियों को विधिक सलाह प्रदान की गई तथा 104 चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बंदियों में से 135 एच.आई.वी. पीडित, 17 कैंसर पीडित एवं 70 टी.वी. पीडितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उक्त शिविर के दौरान कई बंदियों को कोरोना वैक्सीन का टीका भी लगाया गया। इस प्रकार कुल 4377 बंदियों (4062 पुरूष एवं 315 महिला) का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 54 बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में किया गया।

Glimpses of Camp

CENTRAL JAIL BHOPAL

CENTRAL JAIL HOSHANGABAD

CENTRAL JAIL SATNA

CENTRAL JAIL REWA

CENTRAL JAIL SAGAR

CENTRAL JAIL NARSINGHPUR

Media Coverage

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के सभी केंद्रीय जेलों में बुधवार को एक साथ हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ। नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय कारागार में 71 बंदियों को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। वहीं अन्य जेलों में भी टीका लगाया जा रहा है। हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने जस्टिस अतुल श्रीधरन की मौजूदगी में हेल्थ शिविर का शुभारंभ किया। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी केंद्रीय जेलों में आयोजित हेल्थ कैंप का अवलोकन किया। कार्यक्रम के शुरुआत में अतिथि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस अतुल श्रीधरन को जेल गेट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने अतिथियों का स्वागत किया।

केंद्रीय जेल जबलपुर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर मंचासीन हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ● सौजन्य

21 चिकित्सकों की टीम ने किया 864 बंदियों का परीक्षण: जबलपुर जेल में 21 चिकित्सकों की मौजूदगी में 864 बंदियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इसमें 93 महिला बंदी, 6 उनके बच्चे और 765 पुरुष बंदी शामिल थे। जांच के दौरान मेडिसिन, गेस्ट्रोइंटरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ईएनटी, डेंटल, न्यूरोलॉजी, साइकियाट्रिक और अन्य की जांच कर चिह्नित किया।

सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर शत्रुघन दाहिया की मौजूदगी में हेल्थ शिविर में आई महिला नर्सों ने पहला वैक्सीन महिला बंदी कुसुम बाई को लगाया। वहीं पुरुषों में पहला वैक्सीन ओमकार प्रसाद को लगा। विक्टोरिया जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने सबसे पहले सहमति के आधार पर सजायाफ्ता बंदियों से वैक्सीन लगवाने की सहमति प्राप्त की। जिसके बाद तीन महिला बंदी सहित 71 को वैक्सीन लगाया गया।

300 अधिकारी, कर्मचारी को लग गया वैक्सीन: जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने बताया कि 25 जनवरी को उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर वैक्सीन लगवाई थी। जेल के सभी 300 अधिकारी, कर्मचारियों का वैक्सीन लग चुकी है।

केंद्रीय जेल सागर में 380 बंदियों व सात बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं दीं

विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते जिला न्यायाधीश वीआरी पाटिल। ● नवदुनिया

सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर केंद्रीय जेल सागर के बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके बाद जिला न्यायाधीश वीआर पाटिल के मार्गदर्शन में विधिक सहायता शिविर लगाया गया। शुभारंभ जिला न्यायाधीश श्री पाटिल व मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश विवेक शर्मा, चिकित्सकीय विशेषज्ञों एवं जेल विभाग के अधिकारियों ने किया। शिविर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चर्मरोग विशेषज्ञ डॉ. राघव गुप्ता, मेडिसन विशेषज्ञ डॉ. अनुराग जैन, सर्जरी विशेषज्ञ डॉ. आकाश जैन, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. रंजीत कुमार डी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिरुद्ध चतुर्वेदी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा आर्य, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. विनेश जैन, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजली वीरानी, दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. कुलदीप पाल ने 380 बंदियों और 7 बच्चों परीक्षण कर दवाएं दीं। विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के साथ आयोजित विधिक सहायता शिविर में पैनल अधिवक्ताओं ने 328 बंदियों को विधिक सलाह दी। इसके पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से पात्र बंदियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। 45 पात्र बंदियों को जिला न्यायाधीश श्री पाटिल व सचिव श्री शर्मा ने आयुष्मान कार्ड दिए। जिला न्यायाधीश ने केंद्रीय जेल के बंदियों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के लिए निर्देश दिए।

जल्द लगेगा बंदियों को कोरोना टीका: एके सिंह

केन्द्रीय जेल में परिरुद्ध बंदियों का किया गया बुधवार को स्वास्थ्य परीक्षण

रीवा (नवस्वदेश)। 24 मार्च को उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर केन्द्रीय जेल में परिरुद्ध बंदियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिसका शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके सिंह एवं सचिव विपिन लवानिया ने संयुक्त रूप से किया गया। ...

इतने मरीजों का हुआ संबंधित बीमारियों का परीक्षण

विभाग का नाम	रोगी संख्या	रेफर
मेडिसिन	476	23
मानसिक रोग	38	--
चर्मरोग	85	--
गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी	01	--
सर्जरी	126	60
टीबी एवं चेस्ट	56	--
बाल्य एवं शिशु रोग	10	--
अस्थि रोग	152	--
प्रसूति एवं स्त्रीरोग	88	07
न्यूरोलॉजी	04	04
नेत्ररोग	143	73
ईएनटी	69	04
दंतरोग	64	07

यह डाक्टर जांच में रहे शामिल

केन्द्रीय जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण का स्वास्थ्य शिविर

सेंट्रल जेल में 790 कैदियों का चेकअप

बंदियों को स्वस्थ रखना सबकी जिम्मेदारी: जिला जज

13 डॉक्टरों की टीम ने किया स्वास्थ्य परीक्षण

हवालातियों को दी गई न्यायालीन प्रकरणों की जानकारी

व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा

केन्द्रीय जेल में लगाया गया विधिक सहायता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

एक ही दिन में हुआ 325 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण

जागरण होशंगाबाद। केन्द्रीय जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विधिक सहायता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया तथा आवश्यकता अनुसार औषधि वितरित की गईं। साथ ही जेल में निरुद्ध बंदियों को विधिक सहायता एवं विधिक सलाह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं द्वारा मुहैया कराई गईं। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश आलोक अवस्थी द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विरेन्द्र कुमार सेन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कौशल, जेल अधीक्षक उमा राव, जेल उपअधीक्षक ओपी पाण्डेय, जेलर अजय वर्मा, रितुराज दांगी, जिला विधिक सहायता अधिकारी मनोज सेन, चिकित्सक एडी मौर, रविन्द्र गंगराड़े, धनश्री हर्षे, अजय सक्सेना, डा. अखिलेश सिंघल, अपूर्व शक्ति, आरके वर्मा आदि उपस्थित रहे। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 302 पुरुष, 19 महिला एवं 04 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

Special Care for Prisoners-Dealing with HIV

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 22.03.2021 को म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रक समिति भोपाल के साथ ऑनलाईन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जेल में निरूद्ध एच.आई.व्ही., टी.बी., हेपेटाईटस से पीडित बंदियों की दवाईयां एवं विशेष आहार के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही एड्स पीडित बंदी जमानत पर जेल से बाहर जाते है एवं दोषमुक्त होने के पश्चात् अपने गृह जिले में वापस जाकर अस्पतालों से दवाईयां मुहईयां किस प्रकार की जायेगी, इस संबंध में चर्चा की गई है। साथ ही ऐसे बंदियों को कार्ड भी जारी किये गये है ताकि वे जेल से छूटने पर दवाईयां अस्पतालों से आसानी से प्राप्त कर सके। जेल में प्रवेश नये बंदियों की एच.आई.व्ही. एवं टी.बी. स्क्रीनिंग शत प्रतिशत हो सके इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये।

राज्य प्राधिकरण की ओर से सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स की सहायता से भी यदि ऐसे बीमार बंदियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पडता है तो वह तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत करायेंगे ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण तुरन्त किया जा सके। साथ ही समय–समय पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से टी.बी. एवं एड्स के प्रति बंदियों को जागरूक किया जा रहा है।

Glimpses of Jail Inspection by DLSAs

DLSA ALIRAJPUR

DLSA BARWANI

DLSA

DLSA HARDA

DLSA SHAJAPUR

DLSA MANDLESHWAR

Panch 'J'

Preserving Our Beautiful Blue Planet

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा विश्व जल दिवस दिनांक 22.03.2021 के अवसर पर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त न्यायाधीशगण द्वारा न्यायालय परिसर स्थित न्याय वाटिका में "पंच–ज" अभियान अंतर्गत पक्षियों को पानी पिलाने हेतु सकोरे लगाये एवं पर्यावरण संरक्षण जन जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया तथा विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से न्याय वाटिका में स्थित पक्षकारों को अपराधों से दूर रहने की समझाईश दी गई। उक्त अवसर पर नालसा सालसा की जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। इस अवसर पर लगभग 15 महिला एवं 17 पुरूष उपस्थित रहें।

Legal Services to Children under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

दिनांक 25.03.2021 को सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, तहसील न्यायालय जावरा द्वारा जावरा ब्लॉक के ग्राम परवलिया, सेमलिया, चिकलाना, ढोढर, मोयाखेड़ा, माननखेड़ा, पिपलिया जोधा एवं हनुमंतिया में बांछड़ा समुदाय के छात्र–छात्राओं के आगामी शिक्षा अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों का वितरण किया गया। उक्त पुस्तकों का सेट ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच को सौंपा गया तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि समस्त पुस्तकों का रिकॉर्ड एवं छात्र–छात्राओं द्वारा उपयोग की जाने वाली पुस्तकों का लेखा रखें। साथ ही म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं शासन द्वारा संचालित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही जावरा ब्लॉक के ग्राम ढोढर एवं पिपलिया जोधा में निःशुल्क कृत्रिम अंग लगवाने हेतु दिव्यांग चिन्हित किये गये।

विधिक सहायता रतलाम द्वारा बाछडा समुदाय मे रहने वाले छात्र- छात्राऔ को प्रतियोगी परीक्षा मे भाग लेने हेतू पुस्तकों का वितरण किया गया - Hamare Adhikar

hamareadhikar.in

विधिक सहायता रतलाम द्वारा बाछडा समुदाय मे रहने वाले छात्र- छात्राऔ को प्रतियोगी परीक्षा मे भाग लेने हेतू पुस्तकों का वितरण किया गया

https://hamareadhikar.in/jila-vidhik-sahayta-competitive-exams-book-distribute/

Hamare Adhikar News

5:10 PM

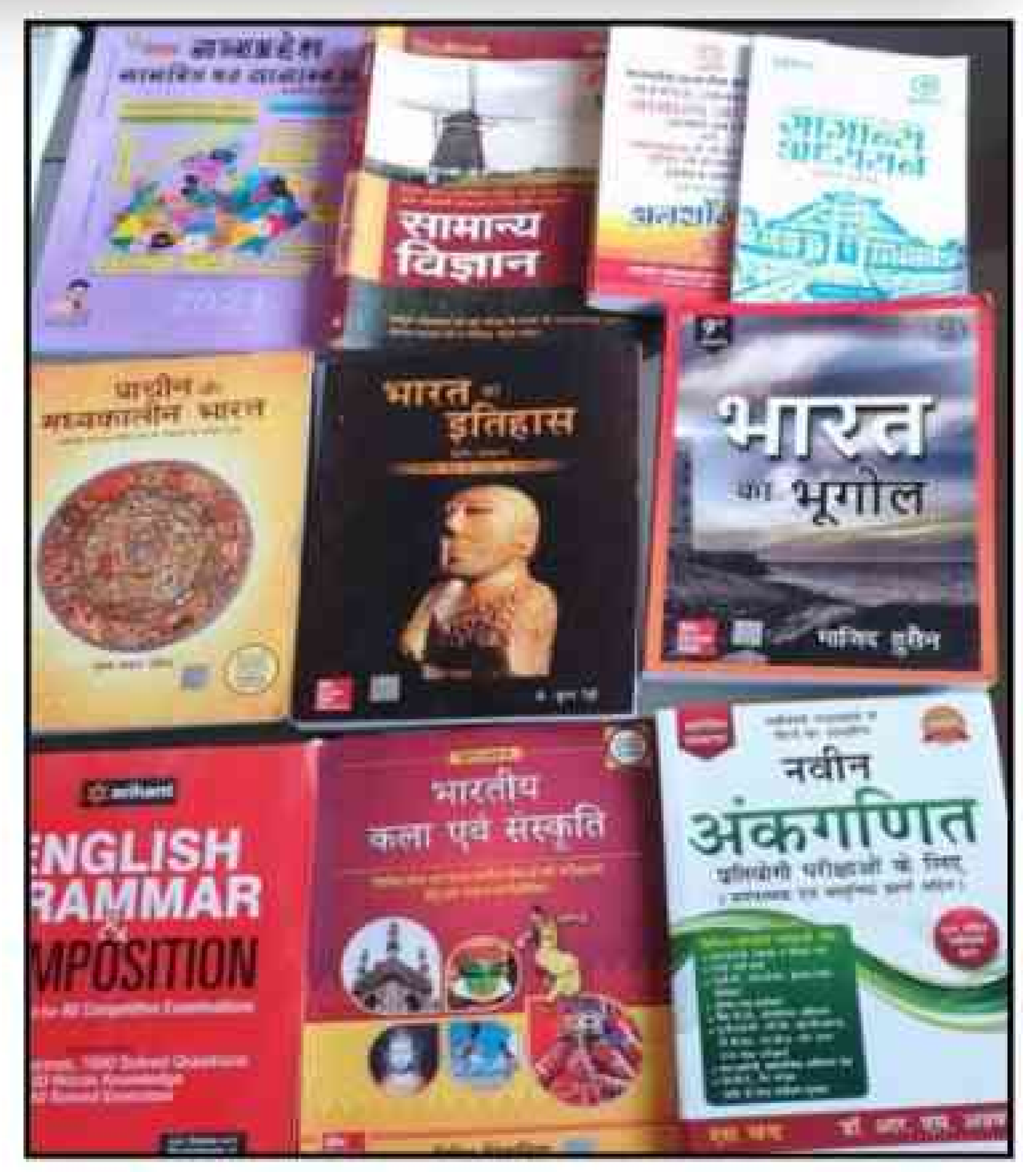

Glimpses of Camps and Inspection under the Child Friendly Scheme

DLSA PANNA

DLSA CHHINDWARA

DLSA KHANDWA

DLSA BURHANPUR

DLSA BETUL

DLSA DEWAS

Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा दिनांक 10–03–2021 को ग्राम सुजानपुरा जिला भिण्ड में वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उपरोक्त विवाद विहीन ग्राम में आपसी विवादों का निराकरण विवाद विहीन सेवा दल के माध्यम से किये जाने हेतु सामान्य जन को सेवा दल के सदस्यों के साथ प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही दिनांक 15–03–2021 को निराश्रित भवन भिण्ड में आयुष्मान भारत योजना ''निरामयम्'' के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभिनव पहल करते हुए निराश्रित भवन एवं वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग भिण्ड के सहयोग से निःशुल्क तैयार करवाये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 09.03.2021 को वात्सल्य धाम (वृद्धाश्रम), मंदसौर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठजन के कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराया गया। वृद्धजनों द्वारा न्यायालय में लंबित उनके भरण–पोषण संबंधी प्रकरणों में विधिक प्रश्न पूछे गये, जिनका जवाब देकर वृद्धजन की जिज्ञासाओं को शांत किया गया।

दिव्यांगता से सचलता की ओर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा 'दिव्यांगता से सचलता की ओर एक अभियान' के अंतर्गत श्री दुर्गेश बौरासी रतलाम को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सहयोग से भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति, जयपुर से बांया हाथ (कृत्रिम अंग) लगवाया गया। श्री दुर्गेश का एक दुर्घटना में बायां हाथ कुहनी तक कट गया था। पूर्व में भी श्री दुर्गेश द्वारा कृत्रिम हाथ लगवाया गया था, किंतु वह बहुत भारी था और जल्द ही टूट गया था। बायां हाथ न होने से श्री दुर्गेश को काम करने में परेशानी आ रही थी। श्री दुर्गेश द्वारा पीएलव्ही के माध्यम से कार्यालय में संपर्क किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा कोरोना काल से ही कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उस समय ज्यादा ट्रेनें संचालित न होने और रतलाम से जयपुर की दूरी जबलपुर स्थित कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केंद्र से कम होने के कारण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया गया। बायां हाथ लग जाने से अब श्री दुर्गेश अत्यंत खुश है और सामान्य जीवन जीने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है, अब दुर्गेश स्वरोजगार प्राप्त कर अपना सुखद जीवन–यापन कर सकता है।

Before

After

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 01.03.2021 को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट द्वारा नगरपालिका परिषद बालाघाट के उद्घोषक वाहन की मदद से बालाघाट शहर में दिव्यांगजन के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एवं उन्हें बैटरी चलित ट्रायसाईकल प्रदाय किये जाने के संबंध में शिविर आयोजन की सूचना प्रसारित की गई। जिसके फलस्वरूप वारासिवनी, कटंगी, परसवाड़ा एवं बैहर में शिविर लगाया गया। तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी, कटंगी तथा बैहर के सहयोग से लगाये गये शिविरों के माध्यम से मोट्राइज्ड ट्रायसाइकिल प्रदाय करने हेतु 241 दिव्यांगजन चिन्हित किये गये है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना द्वारा सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के सहयोग से दिनांक 16.03.2021 को जिला दिव्यांग एवं पुर्नवास केन्द्र मुरैना में दिव्यांगजन के कल्याण हेतु लाभदायक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक दिव्यांग, अस्थि बाधित कुल 40 लाभांवितों को चिन्हित कर छडिया, कान की मशीन, व्हीलचेयर, ट्राय सायकल वितरण की गई, इसके अतिरिक्त 5 दिव्यांगजन को बस किराये में 50 प्रतिशत की रियायत हेतु पास का वितरण भी किया गया।

Legal Services to Labour under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 17.03.2021 को बरगी नगर के ग्राम पंचायत तुनिया सालीवाडा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को नालसा द्वारा चलाई जा रही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजनाएं 2015 एवं सबल कार्ड की उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, इसके साथ ही ग्रामीणों को मजदूरों को आकाशीय बिजली गिरने, करंट लगने, सांप के काटने या जंगली जानवरों के हमले करने पर जान माल के खतरा या क्षति होने पर शासन द्वारा मिलने वाले मुआवजे के बारे में अवगत कराया।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिली विधिक सेवाओं की जानकारी

जबलपुर। बरगी नगर कि ग्राम पंचायत तुनिया सालीवाडा में आज एक दिवसीय विधिक जागरूकता साक्षरता शिविर का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सचिव माननीय शरद भामकर तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी के मार्गदर्शन में तथा पंचायत सचिव रुपेश टहनगुरिया मगरधा पंचायत के सरपंच पति इंदर सिंह तिलकाम सूरज धुर्वे तथा रोहिणी प्रसाद पटेल की उपस्थिति में शिविर प्रारंभ शुरू किया गया। इस अवसर पर ग्राम की मनोज पटेल रोशनी पटेल प्रहलाद सूरज धुर्वे हाकम सिंह सुरेश सिंह की उपस्थिति रही।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिली विधिक सेवाओं की जानकारी

ग्राम पंचायत तुनिया सालीवाडा में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

बरगी नगर । नगर कि ग्राम पंचायत तुनिया सालीवाडा में बुधवार को एक दिवसीय विधिक जागरूकता साक्षरता शिविर का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सचिव माननीय शरद भोमकर तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी के मार्गदर्शन में पंचायत सचिव रुपेश टहनगुरिया , मगरधा पंचायत के सरपंच पति इंदर सिंह तिलकाम , सूरज धुर्वे तथा रोहिणी प्रसाद पटेल की उपस्थिति में शिविर प्रारंभ किया गया ।

हक और अधिकारों की मिली जानकारी

Public Awareness Rally organized across the State under Ayushman Bharat Scheme

MP SLSA took a clarion call for ensuring basic health facilities under the Ayushmaan Bharat Scheme to all entitled persons in coordination with the Health Department and local administration. Recognizing that access to health is a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India, a statewide campaign has been launched commencing from 03.03.2021 under the caption "Apke Dwaar Ayushmaan".

The campaign was flagged off by Hon'ble the Administrative Judge Principal Seat Jabalpur & Executive Chairman from the office of the M.P. State Legal Services Authority while at the District Court level the District Judge/Chairman DLSA flagged off the rally from the District Court Campus. The bike rallies converged at the Medical College/District Hospital where a small camp was also held to make patients and their attendants aware of the facilities available under the Ayushman Bharat Scheme. At the Netaji Subhash Chandra Bose Medical College Jabalpur a help-desk was set up and Ayushman Cards of 47 eligible persons were prepared by the Ayushman Mitras.

Through this step it is expected that the MPSLSA, in coordination with the Government functionaries, shall successfully reach out to under-privileged people across the State and ensure their accessibility to optimum health facilities and the right to live with dignity through free treatment facilities extending up to Rs. 5 lakhs annually for every card holder.

GLIMPSES FROM DLSAs

DLSA ALIRAJPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA ASHOK NAGAR

DLSA BALAGHAT

DLSA BARWANI

DLSA BETUL

DLSA BHIND

DLSA VIDISHA

DLSA BURHANPUR

DLSA CHHATARPUR

DLSA CHHINDWARA

DLSA DAMOH

DLSA DATIA

DLSA DEWAS

DLSA DHAR

DLSA DINDORI

DLSA GUNA

DLSA GWALIOR

DLSA HARDA

DLSA HOSHANGABAD

DLSA INDORE

DLSA JABALPUR

DLSA JHABUA

DLSA KATNI

DLSA KHANDWA

DLSA MANDLA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA MANDSAUR

DLSA MORENA

DLSA NARSINGHPUR

DLSA NEEMUCH

DLSA PANNA

DLSA RAISEN

DLSA RAJGARH

DLSA RATLAM

DLSA REWA

DLSA SAGAR

DLSA SATNA

DLSA SEHORE

DLSA SEONI

DLSA SHAHDOL

DLSA SHAJAPUR

DLSA SHEOPUR

DLSA SHIVPURI

DLSA SIDHI

DLSA SINGRALI

DLSA TIKAMGARH

DLSA UJJAIN

आयुष्मान कार्ड जनजागरूकता रैली निकाली

Massive rally to create awareness about Ayushman Bharat Yojana taken out

Justice Shrivastava flagging off the awareness rally for Ayushman Bharat Yojana.

निरामय भारत अभियान के लिए जागरुकता बाइक रैली

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जेपी अस्पताल तक निकाली गई रैली

जिला न्यायाधीश ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी

रैली को दिखाई हरी झंडी गुजरी रैली

शहर में आयुष्मान योजना का संदेश देती गुजरी रैली

अधिवक्ताओं व स्वास्थ्य कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली

दमोह/राजगढ़/नरसिंहपुर

नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई जन जागरूकता बाईक रैली

आयुष्मान आपके द्वार जागरूकता अभियान, निकली वाहन रैली

जिला न्यायाधीश ने दिखाई हरी झंडी

स्वस्थ रहना सबका अधिकार, पात्र व्यक्ति को जरूर मिले आयुष्मान भारत योजना का लाभ- वेदी

आयुष्मान योजना के प्रति जागरूकता लाने तहसील विधिक सेवा समिति ने निकाली रैली

'आयुष्मान' का प्रचार, निकाली जागरूकता रैली

खरगोन और मंडलेश्वर में आयोजन, न्यायाधीशों ने किया संबोधित

न्यायालय परिसर से बाइक और साइकिल रैली निकाली

आयुष्मान अभियान : जन-जागरूकता के लिए निकली बाइक रैली

Celebration of "Bharat ka Amrut Mahotsav"

भारत सरकार द्वारा आयोजित ''भारत का अमृत महोत्सव'' कार्यक्रम के शुभारंभ दिवस दिनांक 12.03.2021 को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राज्य के 18 आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छिंदवाडा, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, मण्डलेश्वर, रीवा, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी एवं उमरिया में आदिवासी समुदाय को लाभांवित किये जाने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद आदिवासी समुदाय के सदस्यों को विधिक सहायता एवं सलाह भी प्रदान की गई, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा उक्त शिविर आयोजन में आदिवासी समुदाय के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड एवं लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये।

शिविर आयोजन संबंधी कुल जिलों की संख्या	आयोजित कुल शिविरों की संख्या	लाभांवित व्यक्तियों की संख्या
18	24	2083

GLIMPSES FROM DLSAs

DLSA ALIRAJPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA BALAGHAT

DLSA BARWANI

DLSA BETUL

DLSA CHHINDWARA

DLSA DHAR

DLSA DINDORI

DLSA JHABUA

DLSA KHANDWA

DLSA MANDLA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA REWA

DLSA SEONI

DLSA SHAHDOL

DLSA SHEOPUR

DLSA SHIVPURI

DLSA UMARIA

Media News.....

अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

भारत का अमृत महोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया

कानून की जानकारी होना सभी के लिए आवश्यक: डेहरिया

कानून की जानकारी दी

अमृत महोत्सव के तहत

बलकवाड़ा | अमृत महोत्सव के तहत शुक्रवार को ग्राम पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय को विधिक साक्षर कर कानून की जानकारी देना था। पैरालीगल वालंटियर अकील खान ने मजदूरों के अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता व सलाह प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी।

ग्राम कोनी में विधिक सेवाएं योजना शिविर का किया गया आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मनाया अमृत महोत्सव

वृहद विधिक साक्षरता शिविर

(म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सयुंक्त तत्वाधान में आयोजित)

स्थान – चित्रकूट **दिनांक 21.03.21**

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2021 को जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उ.प्र. एवं म.प्र. के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप समाज के कमजोर, निर्धन, असहाय वर्ग के हितार्थ व विधिक सशक्तिकरण के लिए वृहद विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन से संबंधित समस्त विभागों द्वारा लगभग 50 स्टॉल लगाये गये, जिनमें शासन के वालेंटियर एवं प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पी.एल.व्ही. की टीम ने उपस्थित व्यक्तियों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा पात्र व्यक्तियों के फार्म भरवाये गये। शिविर में दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल, कृत्रिम अंग, श्रवण मशीन, स्टिक प्रदान किये गये।

इस शिविर में हितग्राहियों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्ड, लाडली लक्ष्मी योजना, वृद्धा पेंशन योजना एवं शासन की अन्य योजनांतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान कर लगभग 3000 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया।

दिनांक 20.03.2021 की पूर्व संध्या पर चित्रकूट में प्रवाहित जीवन दायिनी मंदाकिनी नदी के संरक्षण को लेकर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, उक्त बैठक में महंतों, संतों, नाविकों, पुजारियों व स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर मंदाकिनी के बढते प्रदूषण, उसके संवर्धन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई, उनसे सुझाव साझा किये गये। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण द्वारा रामघाट का निरीक्षण किया गया।

उक्त बैठक में महंतों, संतों, नाविकों, पुजारियों व स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाये जाने एवं मंदाकिनी के प्रदूषण, उसके संवर्धन के लिये समय सीमा निर्धारित करने एवं आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। स्थानीय प्रशासन से उपस्थित

अधिकारीगण को भी भौतिक रूप से मौके पर जाकर निरीक्षण कराकर समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके फलस्वपरूप स्थानीय प्रशासन ने शीघ्रातिशीघ्र उन समस्याओं को निराकृत करना सुनिश्चित किया। इसके साथ ही मंदाकिनी नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु रामघाट और उसके आस पास रहने वाले स्थानीय लोगों को जीवन दायिनी मंदाकिनी नदी के बहाव को निरंतर बनाये रखने के लिये उसके आस पास स्वच्छता बनाये रखने के लिये जागरूक किया गया।

GLIMPSES of Camps...

मंदाकिनी नदी के संरक्षण में उतरी मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम

Media News.....

अच्छी पहल कमजोर तबके तक कानूनी सहायता पहुंचाना मुख्य उद्देश्य

विधिक शिविर में मौजूद मध्यप्रदेश के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण की सचिव गिरिबाला सिंह, जिला जज सतना राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अन्य न्यायिक अधिकारी एवं लाभांवित लोग।

देश के पहले मेगा विधिक साक्षरता शिविर में 2 हजार व्यक्ति लाभान्वित

भास्कर न्यूज़ | सतना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के संयुक्त तत्वावधान में जिले के चित्रकूट में आयोजित किए गए पहले अंतरराज्यीय मेगा विधिक साक्षरता शिविर में 2 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। एमपी और यूपी के सालसा प्रमुख न्यायमूर्ति द्वय प्रकाश श्रीवास्तव और संजय यादव ने शिविर के उद्घाटन में बोलते हुए कहा कि कमजोर तबके तक पहुंचने और विधि एवं शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मौजूद सालसा की सदस्य गिरिबाला सिंह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक कुछ ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है, शिविर से ऐसे ही व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें जागरुक और सशक्त बनाने का उद्देश्य है। जिला जज राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित न हो इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना समेत अन्य बहुत सी योजनाओं समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं। जरूरतमंद व्यक्ति जिला और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।

एमपी-यूपी के 50 प्रमुख विभागों के स्टाल

राज्य विधिक के तत्वावधान में लगाए गए मेगा शिविर में दोनों राज्यों के प्रमुख विभागों जैसे महिला बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि के करीब 50 स्टाल लगाए गए थे। जिनके माध्यम से करीब 2 हजार लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किए गए एमपी-यूपी के संयुक्त विधिक शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डीपी मिश्रा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में आयोजित शिविर का उद्देश्य सफल रहा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे लाभान्वित कर शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया है।

33 को लाड़ली और 5 को 2-2 लाख की मदद

मेगा शिविर में लाड़ली लक्ष्मी योजना में पात्र होते हुए भी योजना के लाभ से वंचित 33 लाड़लियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया। वहीं सीएम विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 5 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की गई। शिविर में मौजूद सम्पत साहू, संजू कोल, विद्या दहायत, रत्ना शर्मा और किरण कोल को स्वीकृत आदेश मौके पर ही प्रदान किया गया।

आजीविका मिशन में 6 लाख 90 हजार की सहायता

मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 21 स्व-सहायता समूह को 6 लाख 90 हजार रुपए की सहायता विभिन्न मदों से प्रदान की गई। सर्वाधिक 2 लाख 25 हजार की सहायता राशि ग्राम झींटा के वेद आजीविका ग्राम संगठन और नकैला के दुर्गा आजीविका संगठन तथा 2 लाख रुपए श्रेया आजीविका समूह नरदहा, एक-एक लाख रुपए की राशि कंदर, सेजवार, मझगवां के स्वसहायता समूह को स्वीकृत की गई।

बैशाखी से आई, चल के गई

शिविर में प्रमोदवन आनंद धाम वृद्धाश्रम चित्रकूट के द्वारा दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और ट्राइसाइकिल का वितरण किया गया। बैशाखी के सहारे शिविर में पहुंची शकुंतला को मौके पर ही कृत्रिम पैर उपलब्ध कराए गए। इसी तरह 7 अन्य दिव्यांगों को व्हील चेयर एवं कान की मशीन और बैशाखी प्रदान की गई।

चित्रकूट में देश का पहला संयुक्त वृहद विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

सतना। कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न हो तथा सभी लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तरप्रदेश राज्य तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को वृहद विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ न्यायमूर्ति संजय यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य की रूपरेखा के बारे में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव श्रीमती गिरिबाला सिंह द्वारा बताया गया कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज भी ऐसे लोग हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन लोगों को जागरूक एवं सशक्त बनाने के लिए कर रहा है, ताकि सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हों। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर तबके को भी न्याय मिल सके, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण का यह भी कार्य है कि राज्य के कल्याणकारी योजना का प्रचार-प्रसार हो और जो भी नागरिक जरूरतमंद हो उन तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का देश में यह पहला संयुक्त प्रयास है। जिसके माध्यम से इस वृहद् विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किए जाने का प्रयास हो रहा है। इससे एक शिविर के माध्यम से दोनों राज्य के हितग्राहियों को तत्काल योजना का लाभ मिलना संभव हो पा रहा है। जैसे-जैसे यह कार्य बढ़ेगा, वैसे ही लोगों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जागरूकता भी बढ़ेगी। न्यायमूर्ति संजय यादव, कार्यपालक अध्यक्ष उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि मुखिया का मुख इस तरह होना चाहिए जो शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करे। वैसे ही राज्य का भी यह कर्तव्य है कि विधि को समान रूप से लागू करे और शासन की सभी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, जो समाज का अंतिम बिन्दु तक स्थित है। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि भारत में विधि का शासन है और देश का संविधान राष्ट्र के सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित न हो। इस हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता एवं अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना आदि योजनाएं चलाई जा रही है। जिसके द्वारा लोगों में अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता को दूर कर उनको विधिक रूप से सक्षम बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और ऐसे मेगा शिविरों में प्रशासन का सहयोग लेकर अधिक से अधिक लोगों को सक्षम किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना के सचिव डी.पी. मिश्रा ने शिविर आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में म.प्र. और उ.प्र. सरकार के प्रमुख विभागों जैसे महिला बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग चिकित्सा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि के करीब 50 स्टॉल लगाए गए थे। जिनके माध्यम से करीब 2000 लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाएं जैसे लाड़ली लक्ष्मी मुख्यमंत्री कल्याणी, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग आदि प्रदान किए गए। शिविर में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी और उनका स्टाफ तथा चित्रकूट क्षेत्र के आसपास निवासरत व्यक्ति आदि उपस्थित रहे।

Tue, 23 March 2021
दैनिक भास्कर https://epaper.bhaskarhindi.com/c/59271008

मां मंदाकिनी को बचाने उतरे न्यायाधीश

यूपी सीमा क्षेत्र से एमपी सीमा क्षेत्र के घाट में साबुन लगा रहे व्यक्ति को अधिकारी ने टोका

तीन दशक का दर्द

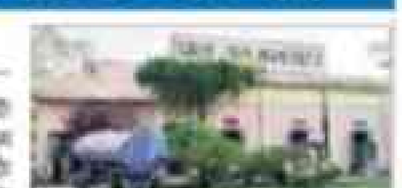

चित्रकूट में देश का पहला संयुक्त वृहद विधिक साक्षरता शिविर लगा

शिविर का शुभारंभ उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय प्रयाग के न्यायमूर्ति ने किया

नवभारत न्यूज़

सतना 21 मार्च. कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो तथा सभी लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तरप्रदेश राज्य तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को वृहद् विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ न्यायमूर्ति संजय यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्य की रूपरेखा के बारे में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव श्रीमती गिरिबाला सिंह द्वारा बताया गया कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज भी ऐसे लोग हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन लोगों को जागरूक एवं सशक्त बनाने के लिए कर रहा है, ताकि सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर हो। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर तबके को भी न्याय मिल सके, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण का यह भी कार्य है कि राज्य की कल्याणकारी योजना का प्रचार-प्रसार हो और जो भी नागरिक जरूरतमंद हो उन तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का देश में यह पहला संयुक्त प्रयास है। जिसके माध्यम से इस वृहद् विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किए जाने का प्रयास हो रहा है। इससे एक शिविर के माध्यम से दोनों राज्य के हितग्राहियों को तत्काल योजना का लाभ मिलना संभव हो पा रहा है। जैसे-जैसे यह कार्य बढ़ेगा, वैसे ही लोगों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जागरूकता भी बढ़ेगी।

न्यायमूर्ति संजय यादव, कार्यपालक अध्यक्ष उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि मुखिया का मुख इस तरह होना चाहिए जो शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण करें। वैसे ही राज्य का भी यह कर्तव्य है कि विधि को समान रूप से लागू करें और शासन की सभी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाएं, जो समाज का अंतिम बिन्दु तक स्थित है। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि भारत में विधि का शासन है और देश का संविधान राष्ट्र के सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित न हो। इस हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता एवं अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना आदि योजनाएं चलाई जा रही है। जिसके द्वारा लोगों में अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता को दूर कर उनको विधिक रूप से सक्षम बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और ऐसे मेगा शिविरों में प्रशासन का सहयोग लेकर अधिक से अधिक लोगों को सक्षम किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना के सचिव डी.पी. मिश्रा ने शिविर आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में म.प्र. और उ.प्र. सरकार के प्रमुख विभागों जैसे महिला बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग चिकित्सा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि के करीब 50 स्टॉल लगाए गए थे। जिनके माध्यम से करीब 2000 लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाएं जैसे लाड़ली लक्ष्मी मुख्यमंत्री कल्याणी, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग आदि प्रदान किए गए। शिविर में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला विधिक सहायता अधिकारी और उनका स्टाफ तथा चित्रकूट क्षेत्र के आसपास निवासरत व्यक्ति आदि उपस्थित रहे।

Empowering Women

Online inauguration of "Urja Mahila Help Desk" in 700 Police Stations of the State by Hon'ble Executive Chairman MP SLSA

In a bid to empower women of the State and to facilitate legal help/counseling for women at various police stations across the State, M.P. State Legal Services Authority collaborated with M.P. Police for establishing women oriented help desks at 700 Police Stations in the State of Madhya Pradesh.

Hon'ble Executive Chairman addressing to duty holders of "Urja help desks"

In this regard, online training programmes have been conducted to sensitize those police officers who would be manning these help desks. Apart from provisions of Dowry Prohibition Act, PCPNDT Act, DV Act, Prohibition of Child Marriage Act, Maintenance Act, Juvenile Justice, other Rights of Women including free legal aid and more important had a segment on empathetic communication to make the first point of contact for victims people friendly.

Hon'ble Executive Chairman MPSLSA Releasing the SOP for Urja Mahila Help Desk

Further, for wider publication among the people, MPSLSA has also provided study material, pamphlets, brochures, banners etc.

The 700 Urja help desks were inaugurated on 31.03.2021 by Hon'ble the Executive Chairman MPSLSA with online

presence of Director General of Police, ADGP (CAW), PS (Women & Child Development, Health) ACS (Home & GAD) and the duty holders of 700 help desks including Collectors, SPs and all DLSAs.

With this small but important step an endeavor has been made to increase accessibility to platforms for victims especially women and children and increase faith in the justice dispensation system.

Imparting training to duty holders by MPSLSA

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-04-01 | Page-4
ehitavada.com

'Urja Mahila Help Desks at 700 police stations

Staff Reporter

WITH an aim to facilitate women at police stations, 'Urja Mahila Help Desks' have been inaugurated at 700 police stations throughout the State under the Women's Crime Branch, Madhya Pradesh Police, on Wednesday.

Chief guest on the occasion was Administrative Judge and Executive Chairman, Prakash Shrivastava who applauded the initiative of opening Urja Mahila Help Desk at 700 police stations. Establishment of women help desks will facilitate women while lodging their complaints. He expressed the need of being sensitive while interacting with women complainants to materialize the vision of starting women help desk. On the occasion, Divisional Commissioner, B Chandrashekhar, IG, Jabalpur Zone, Bhagwat Singh Chouhan, Superintendent of Police, Siddharth Bahuguna, Member Secretary, Additional Secretary and the Deputy Secretary of the

Guests during the online inauguration

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

संजीवनी बनेगी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क

हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने किया ऑनलाइन शुभारंभ

डेस्क का शुभारंभ अभिनव पहल: जस्टिस श्रीवास्तव

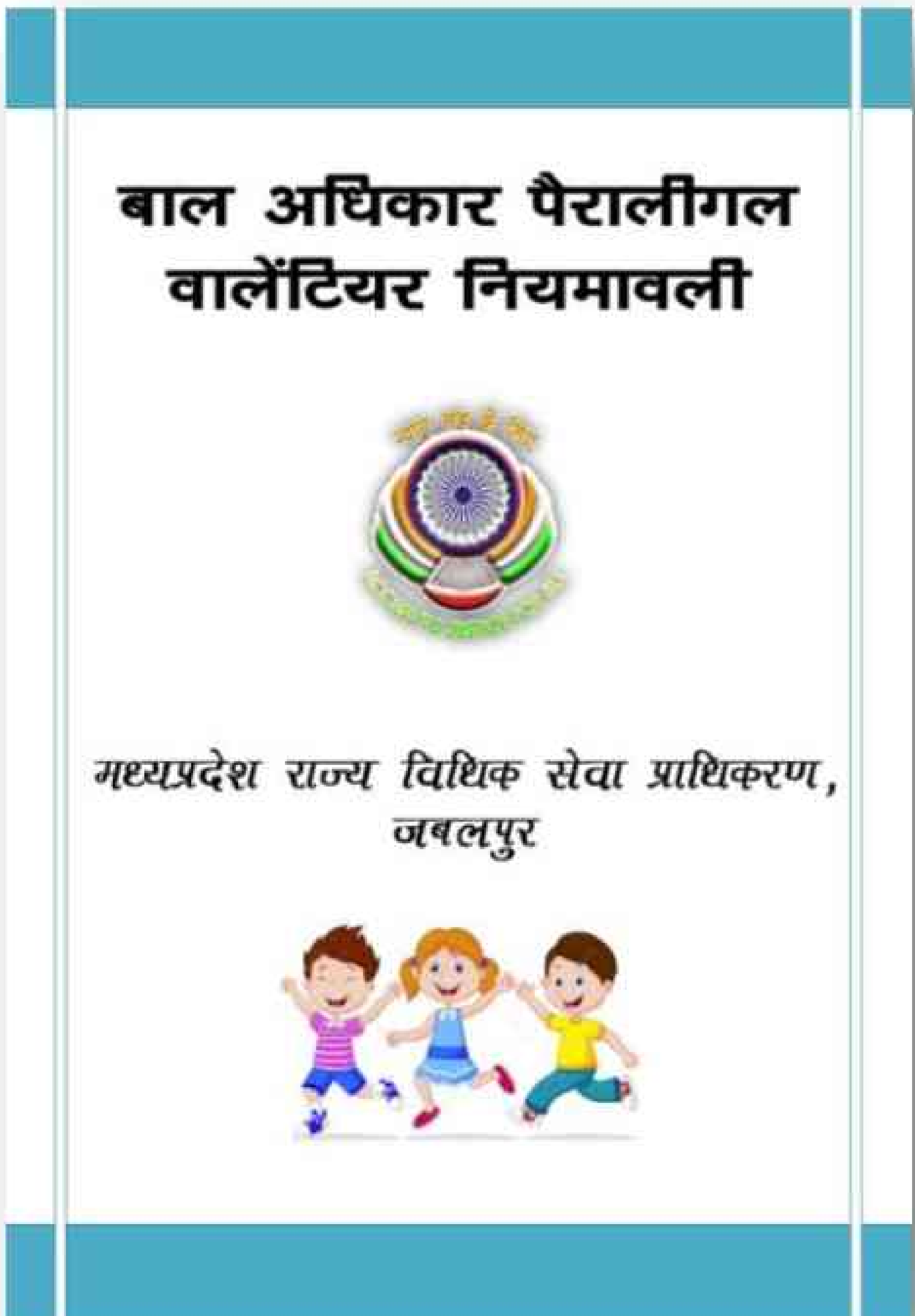

Books Published for "Urja Help Desk"

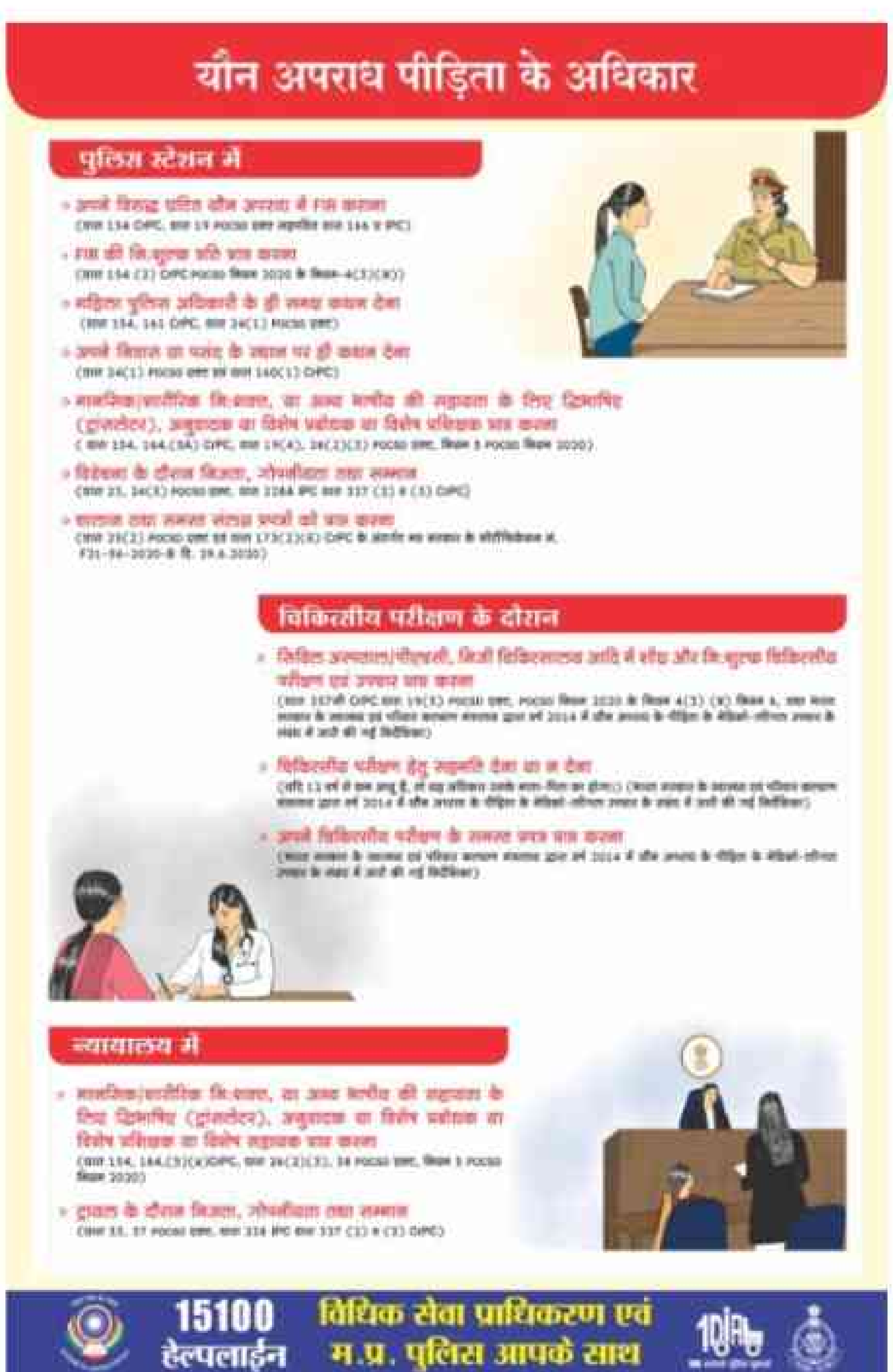

Flex for "Urja Help Desk"

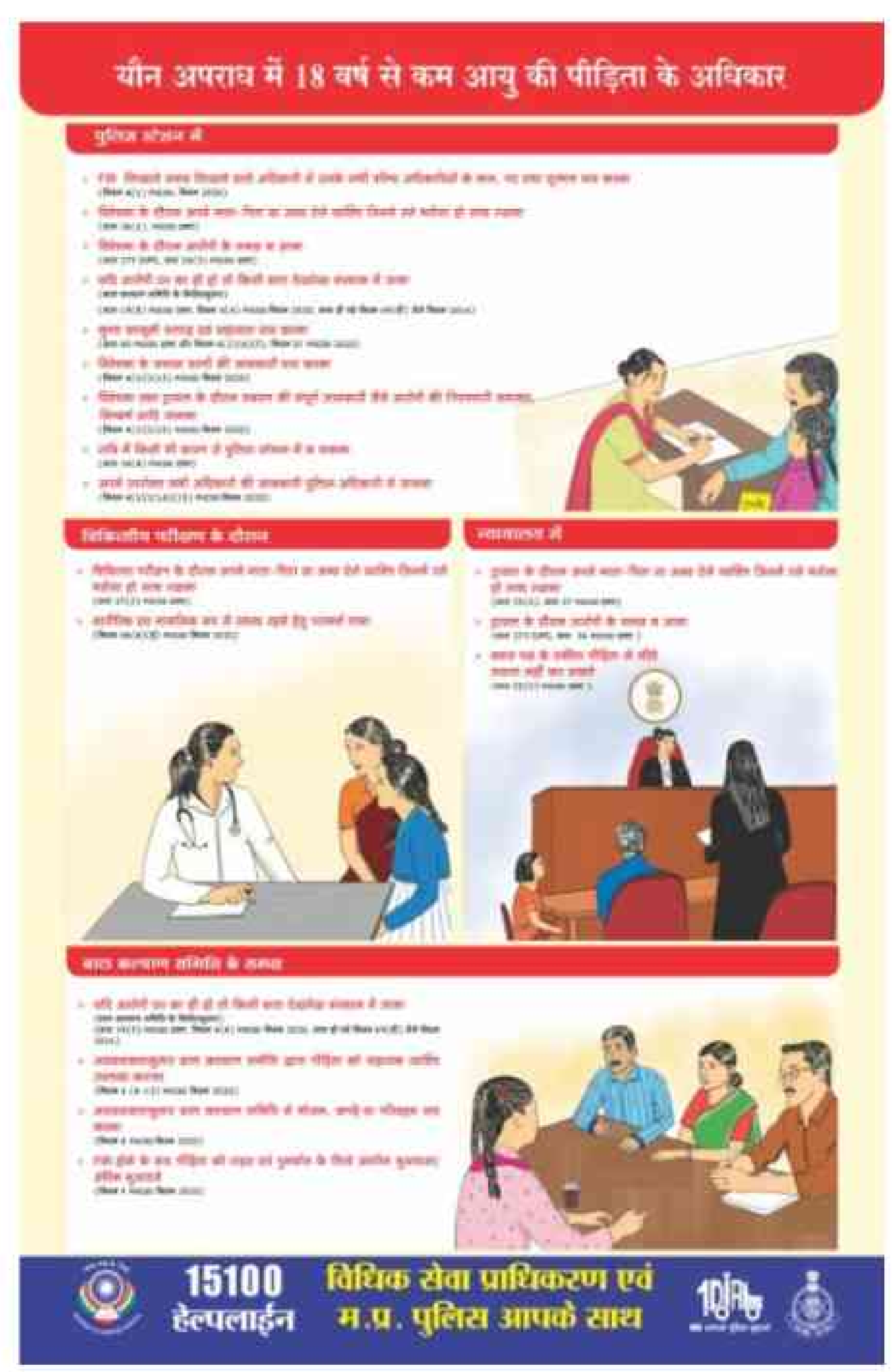

Celebrating International Women's Day

(08.03.2021)

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में दिनांक 08.03.2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समस्त जिला प्राधिकरणों द्वारा महिला एवं बालिकाओं के अधिकारों के संबंध में जनजागरूकता हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें जिला प्राधिकरणों द्वारा अपने जिले की जेलों में महिला बंदियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर एवं निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके साथ ही महिला कानूनों के संबंध विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक किया गया।

इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में महिला से संबंधित कानूनों पर चर्चा की गई तथा कार्यालय में पदस्थ महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।

GLIMPSES FROM DLSAs

DLSA BURHANPUR

DLSA CHHATARPUR

DLSA DATIA

DLSA BHOPAL

DLSA KATNI

DLSA INDORE

Empowering Women through Legal Awareness Camps

DLSA DAMOH

DLSA Damoh organized a legal literacy camp on 06.03.2021 at **One Stop Center (Sakhi) District Damoh** in which the problems of the victims at One Stop Center Damoh were heard by the Secretary, District Legal Services Authority. Along with giving information about the Victim Compensation Scheme, free legal aid and Ayushman card, information was given about the National Lok Adalat and pamphlets were distributed related to the schemes. By the administrator of One Stop Center, Mrs. Poonabai Yadav, detailed information was given regarding domestic violence and legal rights related to women.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा ग्राम सुखाढ़ाना सारणी में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर महिलाओं को प्राप्त अधिकारों, उनके दायित्वों, आयुष्मान कार्ड, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाईन नंबर, एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 01.03.2021 को सभागार कक्ष, जिला पंचायत देवास में महिला एवं बाल विकास विभाग देवास के सहयोग से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट), अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर विस्तार रूप से जानकारी दी गई।

Special Efforts By DLSAs

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा थर्ड जेंडरों को कार्यालय में बुलाकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। उनके द्वारा आधार कार्ड एवं पहचान पत्र संबंधी समस्या के बारे में अवगत कराया गया, जिसके तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को उनके आधार कार्ड बनवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। आधार कार्ड बन जाने के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के पहचान पत्र प्रमाणित कर जारी किये गये। वर्तमान में रतलाम जिले से 03 थर्ड जेंडरों के आधार कार्ड बन चुके हैं शेष थर्ड जेण्डर के आधार कार्ड बनाये जाने हेतु प्रकिया जारी है। संपूर्ण जिले में कुल 09 थर्ड जेंडर के पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में संबंधित 03 थर्ड जेंडर्स को उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा वितरित किये गये।

इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम की पहल से थर्ड जेण्डर को उनके पहचान पत्र जारी हुये। जिससे उन्हें एक सकारात्मक पहचान और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सकेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा पुलिस विभाग, वन विभाग, चिकित्सा विभाग एवं एन.एस.एस के संयुक्त त्तवाधान में शहीद श्री भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की 90 वीं पुण्यतिथि पर पुलिस सामुदायिक केन्द्र/अस्पताल शहडोल में रक्तदान एवं विधिक साक्षरता शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के कुलपति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के सचिव, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर महाविद्यालय प्राचार्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में नालसा योजना के अंतर्गत एसिड अटैक से संबंधित जानकारी दी गयी। इस अवसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस बल, आम नागरिकगण एवं समाजसेवियों द्वारा रक्तदान किया गया।

DLSA DAMOH

DLSA Damoh organized a camp on 02.03.2021 in the Court Premises in coordination with Food Officers. In this camp, Secretary DLSA Damoh, DLAO and Food Officer were present along with chemist mobile food testing laboratory.

Secretary DLSA apprised the audience about provisions of Consumer Protection Act, Litigation Free Village Scheme, Family Dispute Resolution Center and National Lok Adalat. District Legal Aid Officer also gave information about maintenance provisions, mediation, domestic violence, MNREGA, job cards etc.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ठाना
आपकी सेहत – हमारी जिम्मेदारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के द्वारा जिला न्यायालय परिसर भिण्ड अभियोजन कार्यालय में मरीजों के लिए **आपात चिकित्सा** सुविधा का शुभारंभ किया गया। अब न्याय की मांग के लिये भटकता कोई भी व्यक्ति अपने सेहत भी सुरक्षित रख सकेगा।

न्यायालय परिसर में स्थापित आपात चिकित्सा कक्ष

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः

Success Story

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा ग्राम माधौगढ़ जिला अशोकनगर के निवासी पीड़ित श्री गबरा एवं उनकी पत्नी श्रीमती शबीना बाई के बच्चे काजल, अनुपमा, निशांत एवं लक्ष्मी के कर्नाटक राज्य के बैंगलोर के किसी प्राईवेट विद्यालय में संदिग्ध फंसे रहने की संभावना पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर को हस्तक्षेप कर वस्तुस्थिति जानने हेतु मौखिक निर्देश दिया गया था। जिससे फलस्वरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर ने उक्त विषय तत्काल सक्रिय भूमिका निभाई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी दिनांक 06.02.2021 को ग्राम माधौगढ जो कि पूर्णतः जनजातीय समुदाय का ग्राम है वहां पहुंचे तथा प्रारंम्भिक स्तर पर ग्राम वासियों से संपर्क स्थापित किया। तत्पश्चात् वहां के निवासियों के जीवन यापन हेतु अजीविका/रोजगार आदि के साधानों एवं उनके रहन–सहन, खान–पान, जीवन यापन की पद्धति, उनके कृषि व्यापार, व्यवसाय आदि की निर्भरता एवं उनका शासकीय विभागों में प्रतिनिधित्व आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

समुदाय के लोगों द्वारा बताया गया कि वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक जिले से दूसरे जिले एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर छोटी–छोटी वस्तुओं जैसे–बच्चों के खिलौने, बैलून, गुलदस्ते आदि सामाग्री बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही कुछ व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनके पास शासन द्वारा आवंटित औसतन तीन से छह बीघा जमीन है, जिस पर वे कृषि कार्य करते हैं।

पारदी समाज में कच्ची शराब बनाने एवं शराब के सेवन की सामाजिक स्वीकार्यता के कारण संपूर्ण पारदी समाज नशे की चपेट में रहते हुये प्रतिदिन कमाकर अपना उदर–पोषण करती है, जिस कारण यह जनजाति विकास की मुख्य धारा से कोसो दूर है और इस जानजाति का शासकीय विभागों में प्रतिनिधित्व न के बराबर है और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी इस जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

माधौगढ ग्राम के संपर्क के दौरान ग्रामवासियों से चर्चा किये जाने पर ज्ञात हुआ कि पारदी समाज के कुछ निवासी जो आजीविका के उद्देश्य से कर्नाटक राज्य बैंगलोर में बैलून विक्रय के उद्देश्य से पहुंचे थे। वहां के किसी गिरोह द्वारा बच्चों की शिक्षा के नाम पर इस समाज के बच्चों को प्राईवट स्कूल में दाखिला दिला दिया साथ ही वे उन बच्चों को हीरो–हीरोईन, चिकित्सक, वकील, इंजीनियर बनाने का लोभ दिया जाता है। बच्चों की माताओं को वही

स्कूल में व्यवस्था के नाम पर रख लिया जाता है और उन्हें पक्का मकान का भी लालच दिया गया, किंतु गिरोह के द्वारा आवास के नाम पर कभी कुछ नहीं दिया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि उन बच्चों को उनके माता–पिता से न तो मिलने दिया जाता है और यदि उनके माता–पिता बच्चों से मिलने जाते हैं, साथ ही बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। उन बच्चों के समस्त दस्तावेज जैसे मार्कशीट, आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि अपने कब्जे में रख लिये हैं। वे समस्त दस्तावेज उनके माता–पिता को नहीं दिये जा रहे हैं और मांगे जाने पर मार–पीट करते हैं।

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य, पुलिस अधीक्षक एवं पी.एल.व्ही आदि के सहयोग से लगातार ग्राम माधौगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये। माधौगढ़ की महिलाओं, बच्चों एवं पुरूषों के पुनः बयान लिये गये जिसमें उनके द्वारा उक्त संदिग्ध कार्य में बैंगलोर के निवासी श्री राजा एवं श्री पासा नाम के व्यक्ति संलिप्त होना बताया गया, यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इन व्यक्तियों द्वारा पारदी समाज की महिलाओं, बच्चों एवं लड़कियों को बहला फुसलाकर बैंगलोर के प्राईवेट एमरिक स्कूल में एडमिशन कराया जाता था एवं उनके साथ आपराधिक कृत्य किया जाता था। ग्रामवासियों के उक्त कथनों के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर ने पुलिस विभाग से संपर्क स्थापित किया। उक्त घटना के संबंध में पुलिस विभाग ने समुचित जांच करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों के कथनों के आधार पर शादिक पासा पर आई.पी.सी की धारा 323, 354 आई.पी.सी एवं 7/8 पोक्सो एक्ट 3(i)w(i), 3(2)v(q), SC/ST Act के तहत् अपराध दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है।

विलेज लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर हेतु माधौगढ़ का चयन

स्वतंत्र समय, अशोकनगर।

द्वितीय चरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर द्वारा ग्राम माधौगढ़ में लगातार विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से संपर्क रखते हुये नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं के साथ–साथ शासन की कल्याणकारी योजनओं के कियान्वयन की संभावनाओं को तलाशते हुये समुदाय के चहुमुखी विकास की संभावना की ओर कदम बढ़ाया। फलस्वरूप ग्राम माधौगढ़ के जनसंख्या, शिक्षा, जीविका का साधन एवं जीवन स्तर की संख्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई।

तृतीय चरण में ग्राम माधौगढ़ में निवासरत जनजातिय समुदाय के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृति राजनैतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु योजना तैयार की गई। जिसमें श्रम विभाग के समन्वय से ग्राम वासियो को लाभन्वित कराया जाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं वेबिनार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

(1)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 06.03.2021 को पुलिस विभाग एवं जन साहस सामाजिक सेवा संस्था देवास के सहयोग से महिलाओं एवं बालिकाओं पर होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम के विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में श्री सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को पोक्सो एक्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर विस्तार रूप से जानकारी दी गई। उक्त शिविर में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश द्वारा भी उपस्थित लोगों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। उक्त शिविर में पुलिस अधीक्षक देवास, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण सम्मिलित हुए।

(2)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 19.03.2021 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास के सहयोग से पुलिस परेड ग्राउंड पुलिस लाइन देवास में प्रधान आरक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधिक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित पुलिसकर्मियों को अन्वेषण तथा अभियोग पत्र में होने वाली सामान्य त्रुटियों, सावधानियों, परिवादी एवं अभियुक्तगण के विधिक अधिकारों, उन्हें दी जा सकने वाले विधिक सहायताओ, पोक्सो एक्ट, मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 18.03.2021 को स्थानीय नेचुरल रेसीडेंसी सभागार झाबुआ में महिला बाल विकास एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के संयुक्त तत्वाधान में महिला सुरक्षा एवं पोस्को एक्ट के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह–कार्यशाला तथा महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला एवं शिविर में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना–2015, नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाए) योजना–2015, सालसा की जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं, दहेज प्रथा, आदिवासियों के संरक्षण, महिलाओं के संरक्षण, भरण–पोषण कानून, महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल, मौलिक कर्तव्य, विधिक सहायता एवं सलाह योजना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। कार्यक्रम में लगभग 40 महिला एवं 60 पुरूश उपस्थित रहें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 15 मार्च 2021 को होटल ऋतुवन, मंदसौर में उड़ान एवं जनसाहस संस्था के समन्वय से किशोरी बालिका कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला एवं तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, भरण–पोशण संबंधी प्रावधानों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों संबंधी योजना की जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा पैनल अधिवक्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वयं सेवी संस्था जनसाहस के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों और मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेकर साक्षरता संगोष्ठि आयोजित की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिरकण नई दिल्ली के द्वारा संचालित योजनाओं के साथ–साथ किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के बारे में उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं को जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा आदिवासी बाहुल्य ग्राम खकनार जिला बुरहानपुर में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर प्रशिक्षण/सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार में पीडितों की पूरी बात सुनने, उनके प्रति संवेदनशीलता बनाये रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही पोक्सो एक्ट, घरेलु हिंसा, मानव दुर्व्यवहार, बालकों का संरक्षण, एस.सी.एस.टी. एक्ट पर चर्चा कर नालसा व सालसा की योजनाओं के संबंध में अवगत कराया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के लिए ऑनलाईन (वर्चुअल) प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला जज द्वारा भारतीय साक्ष्य विधि में इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य की ग्राह्यता संबंधी उपबंध, इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य के संबंध में धारा 65बी के प्रमाण पत्र का महत्व, धारा 65बी का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम व्यक्ति तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता गण सम्मिलित हुए।

पैनल अधिवक्ताओं को समझाए गए इलेक्ट्रोनिक साक्ष्य की ग्राह्ता संबंधी उपबंध

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित किया ऑनलाईन प्रशिक्षण

गुना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के लिए ऑनलाईन (वर्चुअल) प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला जज हर्षसिंह बहरावत द्वारा भारतीय साक्ष्य विधि में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राहता संबंधी उपबंध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में धारा 65 बी के प्रमाण पत्र का महत्व, धारा 65बी का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

इसके अलावा श्री बहरावत द्वारा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के नवीनतम न्याय दृष्टांतों यथा-सोनू उर्फअमर विरुद्ध हरियाणा राज्य, देहली राज्य विरुद्ध नवजोत संधु उर्फअफजल गुरू, अनवर पीवी विरुद्ध पीके बशीर एवं अन्य, शैफी मोहम्मद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, अर्जुन पंडित राव खोटकर विरुद्ध कैलाश कुशन राव, [illegible] कुमार त्रिपाठी विरुद्ध भारत संघ, [illegible] विरुद्ध दीपक मंगल आदि प्रकरणों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में की गई टिप्पणियों का उल्लेख भी किया गया।

कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा तथा आभार अपर जिला जज एके मिश्र द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता सुरेश सिंह तोमर, अजय कुमार जैन, हर्षवर्धन सिंह सिसौदिया, अरविन्द शर्मा, ज्योति चौहान, सतविन्दर केनीपाल सहित चांचौड़ा, आरोन, राघौगढ़ के नवनियुक्त पैनल अधिवक्ता प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन उपस्थित रहे।

शाला त्यागी बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स को ऑनलाईन प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना

म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार 01 अप्रैल 2021 से चलाये जा रहे ''शाला त्यागी बच्चों हेतु अभियान'' अंतर्गत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा दिनांक 31 अप्रैल, 2021 को ऑनलाईन वर्चुअल माध्यम से जिला राजगढ़ एवं तहसील ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर एवं जीरापुर में विभिन्न योजनाओं के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु नवीन एवं नवीनीकृत पैरालीगल वालेंटियर्स को 01 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त अवसर पर उपस्थित तृतीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को शाला त्यागी बच्चों के संबंध में सहज व सरल शब्दों में व्याख्या की गई तथा उन्हें चिन्हित किये जाने हेतु जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा समस्त निर्देशों को ऑनलाईन उपस्थित समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को पढ़कर बताया गया व आगामी माह की 01 तारीख से शाला त्यागी बच्चों की जानकारी एकत्रित करने एवं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

विवाद विहीन ग्राम योजना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा **दिनांक 16.03.2021** को विवाद विहीन ग्राम मलपठार में विधिक जागरुकता/समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया ताकि ग्रामवासियों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा सके। उक्त विधिक जागरूकता एवं समस्या निवारण शिविर सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि अधिकारी, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव, पी.एल.व्ही, एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा चयनित विवाद विहीन ग्रामों में कृषकों के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि की मिट्टी का परीक्षण कर उन्हें स्वाईल कार्ड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपसंचालक कृषि विभाग को निर्देशित किया गया था। चयनित विवाद विहीन ग्रामों में सामान्यतः पीने के पानी की समस्या ग्रामीणों जानकारी दी गई थी, जिस हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डला को एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु वन विभाग, राजस्व विभाग मण्डला को निर्देशित किया गया।

उक्त कार्यक्रम में कृषि विभाग द्वारा विवाद विहीन ग्राम मलपठार के 60 एवं विवाद विहीन ग्राम खुर्सीपार के 60 कृषकों की मिट्टी परीक्षण हेतु भूमि के सेम्पल लिए गए एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनों के साथ–साथ कृषि के उन्नत तरीकों के संबंध में जानकारी दी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई) द्वारा पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु विवाद विहीन ग्राम मलपठार में नलकूप खनन के लिए भूमिगत जल का परीक्षण किया गया एवं शीघ्र ही ट्यूबवेल खनन किया जाकर ग्राम वासियों को नलजल परियोजना के माध्यम से घर–घर पानी पहुँचाने की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई।

ग्राम मलपठार वनग्राम होने के कारण कार्य किये जाने के लिए वन विभाग से अनुमति हेतु स्थल पर उपस्थित सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया एवं उन्होंने अनुमति दिलाये जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर द्वारा विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम चौगनवाट में एसओपी अनुसार ग्राम पंचायत भवन पर मध्यस्थता, लोक अदालत एवं विवाद पूर्व मध्यस्थता आदि बिंदुओं के संबंध में जानकारी के उल्लेख वाला होर्डिंग स्थापित किया गया और वहां स्थापित लीगल एड क्लीनिक की मॉनिटरिंग की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को जनपद पंचायत, जैसीनगर के अंतर्गत ग्राम महुआखेड़ा कला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना सागर जिले के महुआखेड़ा कला गॉव में अवतरित हो रही है, इस गॉव के लोग बीते कई वर्षों से किसी भी विवाद को लेकर थाना, कचहरी नहीं गए है बल्कि यदि गांव में कोई विवाद होता है तो इस गॉव के लोग आपस में ही विवाद को आपसी सूझबूझ से चौपाल पर ही निपटा लेते हैं। जब यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर को प्राप्त हुई तब ऐंसे ग्रामों के द्वारा अन्य ग्रामों को विवाद रहित बनाने हेतु प्रेरित करने व अन्य ग्राम भी प्रेरित हों इस उद्देश्य से विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
24	5

-----XXX-----

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL